''महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरूकता का अध्ययन''

(राजस्थान में संचालित महिला विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में)

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''

शिक्षाशास्त्र में

पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध रुपरेखा

शोध निर्देशिका

J.V'n डॉ0 (प्रो0) मन्जू शर्मा

शोधार्थी

J.V'n रुकमणी हसवाल

JVR- 1/18/10003

शिक्षा विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

जनवरी 2019

अनुक्रमणिका

विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1
समस्या की पृष्ठभूमि	1–3
सम्प्रत्यात्मक परिचय	3–9
सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन	9–12
समस्या का औचित्य	12–13
समस्या कथन	13
शोध उद्देश्य	13
तकनीकी शब्दों का परिभाषिकरण	13–14
परिकल्पनायें	14
चर	14
न्यादर्श	14
उपकरण	15
शोध विधि	15
सांख्यिकीय प्रविधि	15
परिसीमन	15
संदर्भ सूची	16–19

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में नारी को पुरुष का पूरक माना गया है। उसे माता स्वरुप मानकर पुरुष की प्रेरणादायी शक्ति कहा गया है। वह माता, बहन, पत्नि एवं पुत्री के रुप में न केवल परिवार रुपी संस्था को सशक्त बनाती है, बल्कि सारे समाज व राष्ट्र को ऊर्जावान तथा सामर्थ्यवान नागरिक प्रदान करती है। सृष्टि का आधार नारी एवं पुरुष दोनों की सहभागिता है, परन्तु नारी महत्व इसलिये अधिक होता है क्योंकि वह जननी है। वह मानव को अपनी कोख में धारण कर उसे पुष्पित और पल्लवित कर समाज को अमूल्य मानव–संसाधन उपलब्ध करवाने का माध्यम है। जिस प्रकार अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें जमीन को उर्वर और उपजाऊ बनाना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि हमको एक अच्छे संस्कारवान, समुन्नत तथा सुशिक्षित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले उसकी निर्मात्री स्त्री को सुशिक्षित, सम्पन्न और समुन्नत बनाना होगा। अतः राष्ट्र की आधार शक्ति 'स्त्री' को समुचित शिक्षा प्राप्त हो, यह अनिवार्य है।

समस्या की पृष्ठभूमि

श्री एडमस ने उस समय की स्त्री शिक्षा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'समस्त स्थापित शिक्षण संस्थाऐं पुरुषों के लाभार्थ हैं, समस्त महिला जगत् अज्ञानता के अन्धकार में भटक रहा है।'

स्त्री शिक्षा की दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने कियां सन् 1820 में डेविड हेयर ने स्त्री शिक्षा का सबसे पहला विद्यालय कलकत्ता में स्थापित किया। बंगाल की शिक्षा परिषद् के प्रधान जे.ई.डी बेथ्यून ने तो 1849 में अपनी निजी सम्पत्ति से एक बालिका विद्यालय की स्थापना की राजा राममोहन राय ने भी स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। सन् 1882 तक भारतीय सामान्य जनता स्त्रियों के लिए किसी प्रकार की शिक्षा के पक्ष में न थी, और उच्च शिक्षा से तो जैसे उसे घृणा ही थी। सन् 1922 से 1947 के बीच स्त्री शिक्षा का काफी विकास हुआ जो स्वाधीनता के बाद काफी आगे बढ़ा लेकिन उसे अभी भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । जिस देश में स्त्रियों को वेद पढ़ाने से पण्डितों का धर्म भ्रष्ट हो वहां संतोषजनक प्रगति कैसे हो सकता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में

अरबी फारसी के प्रोफेसर (स्वर्गीय) श्री महेश प्रसाद की पुत्री कल्याणी ने बनरास हिन्दु विश्वविद्यालय में एम.ए. (संस्कृत) में वेद का ऐच्छिक प्रश्न–पत्र लेना चाहा, पर पंडितों ने स्त्री को वेद पढ़ाने से इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय पर ही उसे वेद का प्रश्न–पत्र मिल सका। पर वह न्याय पाने में उसे लगभग चार वर्ष न्याय व्यवस्था से जूझना पड़ा।

संविधान में समानता की गारन्टी भले ही दे दी गई। जैसे राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा, पर हमारा दैनिक जीवन संविधान से नहीं व्यक्तियों से चलता है। स्थिति तभी संतोषजनक हो सकेगी जब हमारे मन में बैठे कुसंस्कार दूर होगें। जिसमें स्त्री स्वंय भी अपनी शैक्षिक स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

आज भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर जागरुकता का अभाव है। जब तक लोग शिक्षा की अहमियत नहीं जानेगें या महसूस नही करेंगे तब तक महिला शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल सकता। शिक्षा का महत्व जागरुकता फैलाकर ही समझाया जा सकता है।

भारतीय नारी की शैक्षिक स्थिति एक उतार–चढ़ाव की कहानी है। युगों से उत्थान पतन की तरंगों से जूझती नारी को कभी सम्मान का स्वर्णिम शिखर मिला तो कभी अधः पतन के मझधार उसकी सामाजिक स्थिति के दोनों पहलुओं अधिकार एवं कर्त्तव्य में सदैव उतार–चढ़ाव आते रहे है। इसी प्रकार उसकी शैक्षिक स्थिति में भी उतार–चढ़ाव आते रहे। भारतीय संस्कृति में उसे सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर इतना प्रतिष्ठित किया गया कि अर्धनारीश्वर (भगवान शिव) ने गंगा तक को अपने मस्तक पर धारण किया। हिन्दुओं की धर्म कथाओं में अर्धनारीश्वर की कल्पनाओं ने नारी को ओर भी अधिक गौरवान्ति किया। विश्व परिदृश्य में नारी का चित्र स्पष्ट है। बहुसंख्यक नारी निरक्षर है। दरिद्रता के अभिशाप से दुःखी नारी यन्त्रवत् श्रम क्षेत्र में बाल्यकाल से ही लग जाती है। ये तो भद्रलोक महिलाऐं है जो या तो अभिजात्य, सामन्ती व सम्भ्रान्त तथा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत वर्ग से संबंद्ध है

और शिक्षा प्राप्त करती है, अन्यथा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र की गरीबी से थोड़ा नीचे अथवा ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाये ंतो शिक्षा के बारे में विचार तक नहीं कर सकती।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाय तो डॉ0 जसवीर सिंह द्वारा कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालयों में लैंगिक समानता पर प्रस्तुत की गई ताजा रिपोर्ट जो, कॉमनवेल्थ उच्च शिक्षण प्रबन्धन सेवा (सी.एच.ई.एम.एस.) का एक भाग है। इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि वर्ष 2000 में कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या काफी कम थी। (स्त्रोत एसीयू बुलेटिन मार्च 2004) वर्ष 2000 में वरिष्ठ प्राधायपक स्तर के कुल 1,25.212 शिक्षकों में से महिलाओं की संख्या केवल 28,310 अर्थात् 12 प्रतिशत थी। कॉमनवेल्थ के उन देशों में भारत एक था जिसमें वरिष्ठ स्तर पर महिलाओं की संख्या सबसे कम थी।

संप्रत्यात्मक परिचय

शिक्षण जैसे गुरुत्तर कार्यों को अध्यापक अपनी सूझ–बूझ एवं क्षमता से पूर्ण करता है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था अतः उस शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत था किन्तु जब से शिक्षा समूहों में दी जाने लगी एवं शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो गई तब से शिक्षण एक कला के रुप में प्रयुक्त होने लगी। इस कला के कलाकार को विशिष्ठ कौशलों का ज्ञान आवश्यक हो गया समय–समय पर इन्हीं कौशलों को सिद्धान्तों नियमों में बांधकर तथा उसे वैज्ञानिक रुप देकर प्रशिक्षण की स्थापना हुई। सन् 1688 ई. में विदेशी शासकों ने भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया अतः प्रशिक्षण की औपचारिक रुपरेखा 17वी शताब्दी से प्रारम्भ होती है। 1932 तक 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकाय खोले गये। इसी समय दिल्ली में लेडी ईविन कॉलेज खुला आन्ध्र विश्वविद्यालय में बी.एड. की शिक्षा प्रारम्भ हुई सर्वप्रथम 1936 में एम.एड. की शिक्षा मुम्बई से प्रारम्भ हुई।

जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ मानवीय क्रियाकलापों में वृद्धि जीवन की जटिलताऐं बढ़ी है ज्ञानविज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर आया है तथा शिक्षा एक आवश्यक कारक के रुप में उभर कर आयी है। किन्तु इस प्रक्रिया में महिलाऐं पीछे

रह गयी और यही एक महत्वपूर्ण कारक उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पारिवारिक शोषण का रहा। महिलाओं में शिक्षा के अभाव का तात्पर्य उनमें आत्मनिर्भरता की कमी होना है। जिसके कारण वह अपनी समस्याओं का स्वतः समाधान करने की स्थिति में नहीं है। महिला का शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि वहीं बच्चे की प्रथम शिक्षिका है, वही पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण प्रशासनिक क्षेत्र 8 प्रतिशत भागीदारी, पुलिस सेवा में लगभग 1 प्रतिशत और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विशेष अनुसंधानो में केवल 3 प्रतिशत की महिला भागीदारी देश को मिल रही है। राजनीति के दूर्षित वातावरण के कारण राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव है। पिछले कई वर्षों से औरतों को हमने अपने समाज में कई कोणों से देखा है। एक गुलाम हिन्दुस्तान की औरत, दूसरा आजाद हिन्दुस्तान स्वतंत्र औरत का। स्वतन्त्रता के लम्हों में हमने औरत को उसका सम्मान नहीं दिया। आजादी के इन पिछले वर्षों में स्त्री को हमने अपने साथ किताबों में, भाषणों में, समाचार पत्रों में, विज्ञापनों और टीवी स्क्रीन पर जोड़ा है, वास्तव में उसे आजादी के नाम पर क्या दिया ? केवल घर की चार दीवारी में काम के बोझ से दबी महिला या कामकाजी महिला के रुप में दोहरी जिम्मेदारी निभाती महिला उसके सर्वोंगीण विकास की तरफ हमनें ध्यान नहीं दिया।

स्वामी दयानंद जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन तथा क्रियाकलाप तबतक उचित ढंग से हीं किये जा सकते जब तक स्त्रियों को उच्च शिक्षा न मिल सके। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि वहीं देश उन्नति कर सकते है जहां स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाता हो। तथा उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जा सकता है। गांधी के शब्दों में स्त्री को वहीं शैक्षिक सुविधाऐं दी जाये जो पुरुषों के लिए हो, हो सके तो उन्हें विशेष सुविधाऐं दी जाये, पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि लड़के कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक लड़की की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है।

पं. जवाहर लाल नेहरु के पास भारत के भविष्य का आकार बनाने में महिलाओं की क्षमता व योग्यता को मान्यता देने की अन्तर दृष्टि थी जवाहर लाल

नेहरु ने नियोजन लागू करते समय कहा था कि भारत का वर्तमान समाज भले ही पुरुष प्रधान व पुरुष निर्मित विधानों के अनुसार संचालित हो किन्तु इस देश का भविष्य पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर अधिक आधारित होगा। इसी कथन को दृष्टिगत रखते हुये महिलाओं के विकास एवं उत्थान हेतु प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तथा समय–समय पर कुछ विशिष्ट योजनाओं के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रत्यक्ष अथा अप्रत्यक्ष महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम चलाये गये। इन योजनाओं में प्रमुख रुप से राजस्थान में चार कार्यक्रमों पर अत्यधिक बल दिया गया है।

1. सोशल इन्पुट्स एरिया डवलपमेंट (SAID)
2. समेकित बाल विकास कार्यक्रम (ICDS)
3. जिला महिला विकास संस्था (DWDA)
4. वीमेन्स डवलपमेंट प्रोजेक्ट (WDP)

राजस्थान का सच यह है कि इस मरु प्रदेश की स्त्री शुरु से ही चारदीवारी में ही कैद कर दी गई है। अभी भी इस प्रदेश में बाल विवाह का होना अनहोनी बात नहीं है औरत की तरक्की व चेतना का स्तर आज भी यह सोचने को मजबूर करता है कि महिला शिक्षा के प्रति समाज की अभिवृत्ति एवं जागरुकता क्या है? सिर्फ आंकड़े दर्शाते है कि महिला शिक्षा से संबधित हमने सारी वर्जनाओं को तोड लिया है। हमने खूब उन्नति कर ली है। कहने को इस देश की प्रधानमंत्री महिला रही है। तथा हाल ही में भी राज्य की मुख्यमंत्री महिला रही है, परन्तु महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का सच बहुत कटु है। इसे कब तक छिपाया जाएगा। महिला शिक्षा विश्वविद्यलायों ने राष्ट्र की भावी पीढ़ी के रुप में महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

राजस्थान के प्रमुख महिला विश्वविद्यालय निम्न है:–

- वनस्थली विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय , निवाई, जिला टोंक।
- ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, महला, जयपुर।
- महात्मा ज्योतिराव फूले महिला विश्वविद्यालय, जयपुर।
- आईआईएस महिला विश्वविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर।

उपरोक्त विश्वविद्यालयों में महिला शिक्षा में अपना उल्लेखनीय योगादान दिया है। फिर भी राजस्थान की स्थिति महिला शिक्षा की दृष्टि में सोचनीय है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परन्तु फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान आज भी शैक्षिक दृष्टि में भारत के दस पिछड़ों हुये राज्यों में आठवें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 48.18 प्रतिशत है यदि देश की 48.18 प्रतिशत जनसंख्या असाक्षर व अविकसित रह जायेगी तो उस देश का विकास संभव नहीं है।

नारी शिक्षा की धीमी प्रगति के कारणः–

- **स्त्रियों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोणः**– अनेक स्त्रियाँ स्वंय शिक्षा के प्रति उदासीन होती है पढाई के प्रति बस जैसे तैसे खानापूर्ति करती है, उनका ध्यान, बनाव, श्रृंखार दूसरी बातों में लगा रहता है। ऐसी लड़कियों को देखकर गांधी के वे शब्द याद आते है कि वर्तमान शिक्षा लड़कियों की शादी का पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट को पाने के लिए सर्टिफिकेट इकट्ठे करती रहती है। शिक्षा के प्रति उनके इस दृष्टिकोण में अन्तर आना चाहिए।
- **व्यवसाय और महिलाऐं**:– स्त्रियों पर घरेलू उत्तरदायित्व होने के कारण वे चाहकर भी पढ़ लिख जाने के बाद भी कई बार व्यवसाय या नौकरी नही कर पाती। इस समस्या के समाधान के लिये भूतपूर्व शिक्षामंत्री डॉ. वी.के.आर राव ने एक उपयोगी सुझाव दिया था कि स्त्रियों की नौकरी प्रारम्भ करने की आयु 40–45 होनी चाहिए न कि लगभग 20 वर्ष जो कि इस समय है। स्त्रियों को नौकरी के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। लेकिन रहने की असुविधा के कारण महिलाऐं कार्य नहीं कर पाती। समाज कल्याण विभाग ने शहरों में हॉस्टलों का प्रबन्ध किया है गांवों में अब भी महिलाओं के रहने की समस्या बनी हुई है।
- **पुरुषों का दृष्टिकोणः–** स्त्रियों की नौकरी व शिक्षा के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण ढिक नही है। कुछ तो यह सोचते है कि लड़की विवशता में नौकरी करती है। अतः लडकियों को शिक्षित तो अवश्य किया पर उसे उच्च

शिक्षा या प्रोफेशनर शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सामान्य मान्यता है कि स्त्रियों का काम बस इतना है कि रसोई संभाले, घर गृहस्थी संभाले, बच्चों को जन्म दे व उनका पालन पोषण करे। यह मान्यता पुरुषों के मन में इतनी गहरी बैठी हुई है कि नौकरी करने वाली स्त्री से भी यही आशा कि जाती है कि वह नौकरी से वापस आते ही तुरन्त घर संभाले। जब तक पुरुषों के मन ये विचार नहीं निकलते स्त्री शिक्षा का कार्यक्रम सफल नही हो सकता।

- **कई क्षेत्रों में अध्यापिकाओं का अभावः**– प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाऐं प्राप्त करना एक समस्या है। गावों में आवास तथा अन्य सुविधाओं के कारण शहरी स्त्रिया नौकरी करने को तैयार नहीं होती तथा गांवों में एक ओर तो स्त्रियाँ शिक्षित है ही नही, जो शिक्षित है उनमें से अनेक तो स्वंय नौकरी करना नहीं चाहती, कुछ ऐसी है जो स्वयं तो चाहती है पर उनके माता–पिता, पति, सास–ससुर नहीं चाहते। यही कारण है कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में अध्यापिकाओं की संख्या संतोषजनक है पर ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापिकाओं का अभाव है ।
- **अज्ञानता और गरीबीः**– अशिक्षित जनता को समझाना कठिन कार्य है विशेष रुप से जब उसके परिणाम तात्कालिक नही, दूरगामी हो। अज्ञान व्यक्ति बालिका की शिक्षा को निरर्थक एव समय व धन का अपव्यय मानते है। समाज के पिछड़े वर्ग में अभी यह धारणाा है कि लड़की का कार्य घर है।
- **सहशिक्षा का विरोधः–** अधिकांश गांवों में लड़कों के ही विद्यालय है इन्हीं में लडकियों को भी जाना पड़ता है। गर्म देश होने के कारण हमारे देश में लड़किया जल्दी बड़ी हो जाती है तब माता–पिता उन्हें सहशिक्षा के विद्यालयों में भेजना पंसद नहीं करते अतः उनकी पढ़ाई बन्द हो जाती है।
- **दूषित पाठ्यक्रमः–** आज प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लड़के–लड़कियों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं है जबकि भारतीय समाज में दोनों को विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व उठाने पड़ते है इसका परिणाम

यह है कि लड़कियों को जो दायित्व उठाने पड़ते है वे उनके लिये तैयार नहीं हो पाती।

- **कई प्रकार की सामाजिक कुरुतियाँः–** भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरुतियां व्याप्त है जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लिंग भेद विभिन्न अंध विश्वास जैसे मासिक धर्म के दौरान लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए आदि महिला शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट डालती है।
- **स्कूल में सुविधाओं का अभावः**– स्कूल में टॉयलेट के नहीं होने या सही स्थिति में नही होने के कारण लड़किया स्कूल जाना छोड़ देती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए विश्राम के समय के लिए एक छोटा सा कॉमन रुम होना चाहिए क्योंकि मासिक धर्म के समय लड़कियों को शारीरिक विश्राम की आवश्यकता होती है। बहुत से स्कूलों में स्कूल ड्रेस के लिए सफेद या हल्के रंगों को चुना जाता है जो युवा लड़कियों के लिये सुविधाजनक नही रहता।
- **लड़कियों में पोषक तत्वों का अभावः**– पुरुष प्रधान समाज में लड़कों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिये भारत में 80 प्रतिशत महिलाओं खून की कमी पायी जाती है। अतः लड़कियों को ध्यान में रखकर दोपहर के स्कूली भोजन में पोषक तत्वों की अधिकता की जानी चाहिये जिससे अस्वस्थता की वजह से लड़कियाँ स्कूल न छोड़े।
- **पारिवारिक रुचि की कमीः–** लड़कियों की शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव परिवार में व्याप्त है लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाये? उनकी शादी हो जायेगी अतः परिवार लड़की शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि शादी के समय दहेज में उन्हें काफी खर्च करना पड़ता है जबकि लड़के की शिक्षा पर किये गये खर्च का उन्हें लाभ मिलता है। यही कारण है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति रुचि की कमी है।

सारांश में कह सकते है कि समाज एवं परिवार ही नहीं अपितु महिला स्वयं भी अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार है आज आवश्यकता है कि ऐसे स्थान जहाँ अखबार एवं मिडिया का प्रमाण कम है वहां भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किये जाये।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विभिन्न प्रकार की शंकाऐ जैसे सहशिक्षा, घर से दूर उच्च शिक्षा, अज्ञानता एवं गरीबी आदि सभी को दूर करने के लिए निजी विश्वविद्यालय जो कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है की स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय आज समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार के साथ–साथ महिला शिक्षा के प्रयास भी कर रहे है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

नसीमा अख्तर (2016) जम्मू कश्मीर में जिला बड़गम के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा का वैयक्तिक अध्ययन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा के परिदृश्य को समझना, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को जानना, जिले में महिलाओं की शिक्षा के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को जानना था, अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एक बड़ी चिन्ता है सरकार द्वारा महिला शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही है फिर भी अधिकांश लोग अभी भी स्कूलों में लड़कियों को भेजने में संकोच करते है। सरकार आवश्यकता में अधिक पैसा निवेश कर रही है फिर भी लोग हमेशा धार्मिक शिक्षा के साथ महिला शिक्षा को जोड़ने है उनकी अज्ञान के कारण अभी भी महिला शिक्षा में कमी है।

नाथ बिनिता (2015) ने दारांग जिले में महिला शिक्षा के विकास का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य दारांग जिले में शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, पुरुषों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास को देखना था। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतों से प्रदत्त संकलन किया गया। अध्ययन में पाया कि कानून की नजरों में महिला और पुरुष समान है। हालांकि हमारी संस्कृति महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुख्य स्त्रोत है। शिक्षा के प्रसार के कारण समाज में बहुत सारे बदलवा आ सकते है। महिला शिक्षा का नतीजा उन्नीसवीं शताब्दी का विकास था। महिलाओं को विद्यालय व महाविद्यालय में भाग लेने के अवसर प्राप्त होने लगे। हालांकि सीमित संख्या में शिक्षा प्राप्त हो रही थीं परन्तु समाज में महिलाओं की सम्माजनक स्थिति बन गयी।

यादव, सिंह नरेन्द्र कुमार (2013) ने अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि बालिका शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अवरोधन 29 प्रतिशत ज्ञात हुआ है। बालिका शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया। अधिकांश छात्रायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखती है। अधिकांश बालिकाओं ने स्वीकार किया कि घर के कार्यों के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही गरीबी प्रेरणा का अभाव, माता–पिता का शिक्षित न होना भी बाधक तत्वों के रुप में सामाने आया है। अधिकांश विद्यार्थियों में एक ही शिक्षक है।

शर्मिला एन अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013) ने अपने लेख में भारत में महिला शिक्षा का विकास में कहा कि महिला दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, महिलाओं के लिये शिक्षा एक देश की स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सर्वोत्तम तरीका है जो देश की अर्थव्यवस्था की एक सूक्ष्म ईकाई का गठन करती है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 54.16% और और पुरुषों की 65.38% है। अध्ययन में पाया कि ग्रामीण और शहरी महिला साक्षरता दर के बीच अन्तर कम हो रहा है। महिला शिक्षा के लिये लड़कियों के ड्राप आउट दर में कमी आवश्यक है। स्कूलो में सुविधाओं की कमी आवश्यक है। लड़कियों को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये ठोस कदम उठाने पड़ेगें।

रजिया सुल्तान (2013) ने आजादी के बाद से दरांग जिले में महिला शिक्षा के विकास का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया कि अतीत में बाल–विवाह महिला शिक्षा की मुख्य सामाजिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता था। समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता प्रचलित थी माता–पिता की गरीबी लडकियों के शिक्षा के विकास की मुख्य समस्या है। लड़कियों के शिक्षा के लिये राज्य की ओर से सहायता का कोई प्रावधान नहीं था। महिला शिक्षा की मुख्य समस्याओं में माता–पिता की निरक्षरता भी है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता–पिता की नकारात्मक सोच प्रचलित है। संचार की बाधा के कारण जागरुकता का स्तर न्यून है। निवास स्थान के समीप कोई भी शैक्षणिक संस्था उपलब्ध नहीं

थी यह कारण भी महिला शिक्षा में एक समस्या थी। महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरुकता का अध्ययन (राज. में संचालित महिला विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में)

एम.अजीत और एम जयन्ता (2012) ने अपने शोध में महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षाकी रिपोर्ट में कहा कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये उनके शैक्ष्झिक कार्यक्रर्मों में भाग लेना आवश्यक है अतः इस बात पर जोर दिया जाना चाहिये कि महिलाओं के लिये विशिष्ट कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता है।शिक्षा के माध्यमों को विकसित करने की आवश्यकता है जो कि लिंग भेदभाव के प्रति संवेदनशील हो और महिलाओं की उन्नति की स्वीकृत को बढ़ावा दे।

चौहान सी.पी. एस. (2011) ने अपने पत्र उच्च शिक्षा भारत के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भागीदारी की रिपोर्ट में कहा कि आजादी के बाद से महिलाओं के नामांकन पुरुषों की तुलना में विकास हुआ है।

यारानी शब्द जी (2010) ने अपने पत्र ''भारत में महिला शिक्षा एक विश्लेषण'' की रिपोर्ट में बताया कि हमारे देश में विशेष रुप से महिलाओं के बीच निरक्षरता उन्मूलन के लिये कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किये गये फिर भी पुरुष और महिला साक्षरता के मध्य अभी भी अन्तर बना हुआ।

भोजक, विनोद (2005) ''ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अध्यापकों में नियमो के प्रति जागरुकता का अध्ययन'' ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्यओं को ज्ञान शहरी लोगों की अपेक्षा कम था। इस अध्ययन के उद्देश्य ये थे –

- हरियाणा में उच्च माध्यमिक स्तर की वर्तमान अध्यापक शिक्षा प्राणाली का शारीरिक अनुकूलता, प्रशासनिक कार्य, अधिकारियों के विस्तार कार्य, नये कार्यक्रम वित्तीय कार्य मूल्यांकन और विकास की गतिविधियों के संदर्भ में अध्ययन करना।

- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अध्यापक शिक्षा के गुणों का व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरुप राज्य के उच्च माध्यमिक अध्यपकों (सेवा में आने से पहले तथा सेवा में आने के बाद) का अध्ययन करना।

सिंह, नारायण (2004) 'अध्यापन व्यवसाय के प्रति महाविद्यालयी विद्यार्थियों की जागरुकता का अध्ययन'' महाविद्यालय के छात्रों व छात्राओं का अध्यापन कार्य के प्रति जागरुकता में कोई विशेष अन्तर नही पाया गया, छात्र छात्रायें अध्यापन कार्य से भलीभांति परिचित थे।

शर्मा, एन.आर. (2000) ह्यूमन राइट्स एण्ड टीचर एज्यूकेकशन इन दी वर्ल्ड मानव अधिकार सम्बन्धित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने प्रारम्भिक दिनों में ही मानव अधिकार के एक अन्तर्राष्ट्रीय बिल के निर्माण की बात सोची, जिसे अब मूर्त रुप दिया जा चुका है। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार की घोषणा का अंगीकार किया, जिसे प्रथम महत्व का दस्तावेज कहा गया।

समस्या का औचित्य

शोधकर्त्री ने सम्बधित साहित्य का अध्ययन किया जिसमें से अधिकांश शोध विदेशों में हुये है भारत में भी महिला शिक्षा से सम्बधित अनके कार्य हुए है सभी शोधों के निष्कर्षों में स्त्री के सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांवेगिक स्तर को ऊँचा उठाने की बात की गई है जिसमें स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बनाते है तथा महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को दूर करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी कारण शोध के लिए समस्या का चयन सावधानीपूर्वक किया है, ताकि नवीन परिस्थितियों में उन कारणों को जानकर यथा समय उनका निराकरण किया जा सके। इस शोध के निष्कर्षों के आधार महिला शिक्षा के प्रति नकरात्मक कारणों को दूर किया जा सकें। बालिकाओं को स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति व विद्यालय न जाने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें। बालिकाओं को दिशानिर्देश दिया जा सके तथा व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जा सके। माता–पिता एवं अभिभावकों का मार्ग प्रशस्त किया जा सके जिससे

वे बालिकाओं को शिक्षित कर उनका मानसिक विकास कर सके। विद्यालयो , महाविद्यालयों में बालिकाओं की विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाये जो उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो तथा उनका सर्वोंगीण विकास कर सके अतः शोध समस्या वर्तमान समस्याओं से संबंधित एवं महत्वपूर्ण है औचित्यपूर्ण है। इसीलिए ही इस समस्याका चयन शोध हेतु किया गया ।

समस्या कथन

''महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरुकता का अध्ययन''

(राजस्थान में संचालित महिला विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में)

शोध उद्देश्य

- महिला शिक्षा के प्रति आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की जागरुकता ज्ञात करना।
- महिला शिक्षा के प्रति आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की अभिवृत्ति ज्ञात करना।
- आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्राओं की महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता एवं अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता एवं अभिवृत्ति का संकायवार तुलनात्मक अध्ययन करना।

तकनीकी शब्दों का परिभाषिकरण

- **अभिवृत्ति** : किसी भी विषय पर एक निशिचित तरीके से सोचना या महसूस करना अभिवृत्ति कहलाती है। प्रस्तुत शोधकार्य में महिला शिक्षा के प्रति छात्राओं का क्या सोचना है या वे क्या महसूस करती है। उसे ही अभिवृत्ति माना है।

- **जागरुकता** : किसी भी विषय से संबंधित जानकारी एवं चेतना प्राप्त करने की मनोवेज्ञानिक स्थिति जागरुकता है प्रस्तुत अध्ययन में महिला शिक्षा के प्रति छात्राओं की जानकारी एवं चेतना को ही जागरुकता माना गया है।

परिकल्पनाऐं

- आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्राओं की महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
- आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्राओं की महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
- आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्राओं की महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता में संकाय के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
- आवासीय एवं गैर–आवासीय महिला विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्राओं की महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में संकाय के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

चर

- **स्वतन्त्र चर** – शिक्षा (महिला शिक्षा)
- **आश्रित चर** – अभिवृत्ति एवं जागरुकता
- **मध्यवर्ती चर** – (आवासीय एवं गैरआवासीय, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय)

न्यादर्श

महिला विश्वविद्यालय

आवासीय	**गैर–आवासीय**
1. वनस्थली विद्यापीठ	1. आईआईएस विश्वविद्यालय
2. ज्योति महिला विद्यापीठ	2. एमजेआरपी, विश्वविद्यालय
कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय	कला,विज्ञान, वाणिज्य संकाय
(75+75+75 =225 विद्यार्थी)	(75+75+75 =225 विद्यार्थी)

उपकरण

- महिला शिक्षा जागरुकता मापनी
- महिला शिक्षा अभिवृत्ति मापनी

शोध विधि

शोधकार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

सांख्यिकीय प्रविधि

प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन, टी. अनुमान एवं प्रसरण विश्लेषण का सांख्यिकीय प्रविधि के रुप में प्रयोग किया जायेगा।

परिसीमन

- राजस्थान में स्थित महिला विश्वविद्यालय ही अध्ययन में शामिल किये जायेगें।
- केवल दो आवासीय एवं दो गैर आवासीय विश्वविद्यालय ही अध्ययन हेतु लिये जायेगें।
- केवल कला, विज्ञान, एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत छात्राऐं ही अध्ययन में शामिल की जायेंगी।
- महिला शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरुकता का ही अध्ययन किया जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- आप्ते, प्रभा (1996) : ''भारतीय समाज में नारी'', क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
- अग्रवाल जे.सी. (1976):''इण्डियन वुमन एजुकेशन एण्ड स्टैट'', आर्य बुक डिपो, न्यू देहली।
- आहुजा राम (1992) : ''राइटऑफ वूमन–ए फेमिनिस्टिक परस्पेटिव'' रावत पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
- आर्य अनिता (1963): ''इण्डियन वूमन–एज्यूकेशन एण्ड इम्पावरमेंट'' वाल्यू–ii, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- अजीत कुमार सिन्हा (1999) : ''इम्प्रूविंग ए लॉट ऑफ रुलर वुमन'' योजना वाल्यूम32,न.–8
- बनर्जी, अनिता एवं राज कुमार सैन(2000) : ''वुमन एण्ड इकोनोमिक डवलपमेंट'' दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली।
- बेस्ट,जे.डब्ल्यू (1977) : ''रिसर्च इन एज्यूकेशन'', थर्ड एडिशनः प्रिंटिस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली।
- बेगल, जोगेश चन्द्रा (1956) : 'वुमन एज्यूकेशन इन ईस्टर्न इण्डिया'',रावत वर्ल्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता।
- भ्रदा, मीता (1999): ''गर्ल चाइल्ड इन इण्डियन सोसायटी'', रावत पब्लिशिंग, जयपुर एण्ड न्यू देहली।
- भदोरिया, एम. (2005) : ''एक्सेस ऑफ वूमन टू हॉयर एज्यूकेशन'' यूनिवर्सिटी न्यूज,43 (06) , 13–15
- भट्टाचार्य एस. (2001): ''डवलपमेंट ऑफ वुमन एज्यूकेशन इन इण्डिया, जोसेफ बारा, चीना रॉय, 1850–1920, कलेक्शन ऑफ डाक्यूमेंटस'',योनगती, बी.एम. शंखधर कनिष्का पब्लिशर, न्यू दिल्ली।
- बी.एम.शर्मा (2005): '' वुमन एण्ड एज्यूकेशन'' कॉमन वेल्थ (एडिटर) पब्लिशर, न्यू देहली।

- बोर्स एम.एन. (2004): ''हैण्डबुक ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी मॉडर्न मैथड न्यू टेक्निकस, श्री निवास पब्लिकेशन, जयपुर।
- चन्द्रा, शान्ता कोहल, (1977): ''ए स्टेडी ऑफ वुमन इन एडमिनिस्ट्रेशन, एसियुएनशल एनालेसिस'', राधा पब्लिकेशन,न्यू देहली।
- डॉ. कोहली, वी.के. (1992): ''इण्डियान एज्यूकेशन एण्ड इट्स प्रोबलम्स'', विवके पब्लिकशर्स, अम्बाला।
- दयमन्ती, यू.टी. (1999): ''डवलपमेंट ऑफ वुमन एण्ड चिन्ड्रन इन रुरल एरिया–एन इम्पैक्ट स्टेडी'', द ऑसियन इकोनोमिक रिव्यू, अगस्त, 41, 2 349–359.
- द्विवेदी किरण (2009): ''भारत की विश्वविद्यालयी व्यवसायिक शिक्षा में महिला सहभागिता'', शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ।
- देसाई, नीरा (1991): ''रिसर्च इन वुमन एजुकेशन – ए ट्रेण्ड रिपोर्ट इन बुच एम.बी. फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन'', एन.सी.ई.आर.टी., न्यू देहली, वॉल्यूम–II
- दहिया, भीम एस, (1996): ''हॉयर एजूकेशन इन इण्डिया सम रिफ्लेक्शन, चण्डीगढ़।
- देवी, ललिता (1982): ''स्टेटस एण्ड एम्पलॉयमेंट ऑफ वुमन इन इण्डिया'' बी.आर. पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन, देहली।
- डॉ. डी. विनोद कुमार (2004): वुमन एज्यूकेशन इन 21 सेन्चुरी'' मिरेकल ऑफ टीचिंग, क्वाटरली जनरल ऑफ टीचिंग, क्वाटरली जनरल ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, वॉल्यूम IV, जनवरी, फरवरी, मार्च, अपैल, 2004.
- डॉ.राधा राय सक्सेना एण्ड कु. शैली (2006): ''गर्ल–चाईल्ड एज्यूकेशन'', मिरेकल ऑफ टीचिंग, वॉल्यूम VI, जनवरी, फरवरी, मार्च, अपैल, 2006 न.1
- गवरमेंट, ऑफ राजस्थान ''स्टेट पॉलिसी फॉर वूमन'' वूमन एण्ड (1996) चाइल्ड डवलपमेंट डिपार्टमेंट 1996.

- गुप्त, डॉ. नत्थू लाल (2005): ''प्राचीन भारतीय शिक्षा और शिक्षार्थी'', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- इन्द्रसेन, जया (2002): ''एज्यूकेशन फॉर वूमन एम्पावरमेंट'' कोनार्क पब्लिशर्स, प्रा. लि. देहली।
- जिवानी, किरण (2006): ''गुजरात की आदिवासी महिला शिक्षा हेतु गैर सरकारी संगठनों के प्रयास'' , लघु शोध प्रबन्ध वनस्थली विद्यापीठ।
- कौर, इन्द्रजीत (1993): '' स्टेट्स ऑफ हिन्दू वुमन इन इण्डिया'' चुग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
- कौल, लोकेश (1992): ''मैथोलॉजी ऑफ एज्यूकेशन रिसर्च'' विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि. नई दिल्ली।
- कोठारी, सी.आर. (2004): '' रिसर्च मैथोलॉजी'' मैथर्डस एण्ड टैक्नीक्स, सैकेण्ड एडीशन, न्यू सेज प्रब्लिशर्स।
- मीरा रॉय (1997): ''डवलपमेंट ऑफ वुमन एण्ड चिल्ड्रन इन रुरल एरिया–एन एप्रेजल'' कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम–एक्स एल V न.10।
- नायर, उषा (1992): ''यूनिवर्सल प्राइमरी एज्यूकेशन ऑफ रुलर गर्ल इन इण्डिया'' फिफ्थ सर्वे ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम– II (1988–92) एनसीईआरटी, न्यू देहली।
- एनसीईआरटी (1993): ''सिक्स एज्यूकेशनल सर्वे, न्यू देहली 1993.
- पाण्डे रेखा (2006): '' मुस्लिम वुमन एण्ड गर्ल एज्यूकेशन–ए केस स्टेडी फ्रॉम हैदराबाद ''जनरल ऑफ इण्डियन एज्यूकेशन, वॉल्यूम XXXII नं. –1, मई 2006, एनसीईआरटी।
- पुरुषोतम, एस (1998): ''द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इन इण्डिया'', न्यू देहली, सेज पब्लिशिंग।
- सचिदानंद एण्ड सिन्हा, आर.पी. (1984): वुमन राइट, रियलिटी'', जयपुर प्रिन्ट वेल पब्लिशर्स।
- श्री वास्तव गौरी (2000): ''वुमन्स हायर एज्यूकेशन इन द 19 सेन्युरी'' कंसेप्ट पब्लिशिंग कॉपोरेशन, न्यू देहली।

- सिद्दकी, मकबूल हसन (2004): ''वुमन एण्ड एज्यूकेशन ए रिसर्च रिपोर्ट'' आशिष्ट पब्लिशिंग हाउस।
- **वेब लिंक**
- http://www.merinews.com
- http://www.answers.com
- http://timesofindia.com
- http://www.un.org